



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 मार्च, 2021

फाल्गुन 14, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

आबकारी अनुभाग—2

संख्या 608 ई-2/तेरह—2021-25-2021

लखनऊ, 5 मार्च, 2021

अधिसूचना

सा०प०नि०—12

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 838 ई-2/तेरह—2010-25-2010, दिनांक 8 अप्रैल, 2010 का अधिक्रमण करके, राज्यपाल घोषणा करती हैं कि दिनांक 1 अप्रैल, 2021 से पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 37 क के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित क्षेत्रों को छोड़कर उत्तर प्रदेश के समस्त क्षेत्रों में मादक वस्तुओं के निम्नलिखित परिमाण फुटकर बिक्री की सीमा होंगे :-

क्रमांक	मादक वस्तुओं का प्रकार	फुटकर बिक्री की सीमा
1	देशी शराब (i) मसालेदार (ii) सादा	सभी तीव्रता की पृथक-पृथक 1.0 लीटर सभी तीव्रता की पृथक-पृथक 1.0 लीटर

अथवा

2	विदेशी मदिरा	
(क)	भारत में भरी हुई/भारत निर्मित विदेशी मदिरा	1.5 लीटर [व्हिस्की, ब्राण्डी, रम (सफेद रम सहित), जिन टकिला और वोदका]
(ख)	विदेशों से आयातित विदेशी मदिरा (समुद्रपार/बी.आई.ओ.)	1.5 लीटर [व्हिस्की, ब्राण्डी, रम (सफेद रम सहित), जिन टकिला लिक्वर्स और वोदका]

क्रमांक	मादक वस्तुओं का प्रकार	फुटकर बिक्री की सीमा
(ग)	वाइन	
	(i) भारत में निर्मित/भरी हुयी	2.0 लीटर
	(ii) विदेशों से आयातित (समुद्र पार/मूल में भरी)	2.0 लीटर
(घ)	बीयर	
	(i) भारत में निर्मित/भरी हुयी	6.0 लीटर
	(ii) विदेशों से आयातित/मूल में भरी हुयी	6.0 लीटर
(ङ)	अन्य प्रकार की भारतीय/विदेशों से आयातित मदिरा	1.5 लीटर
(च)	कम तीव्रता के अल्कोहल युक्त मादक पेय	6.0 लीटर

आज्ञा से,
संजय आर० भूसरेड्डी,
अपर मुख्य सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 608 E-2/XIII-2021-25-2021, dated March 5, 2021 for general information :

No. 608 E-2/XIII-2021-25-2021

Dated Lucknow, March 5, 2021

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 6 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. IV of 1910) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) and in supersession of Government notification no. 838 E-2/XIII-2010-25-2010, dated April 8, 2010, the Governor is pleased to declare that with effect from April 1, 2021 the following quantities of intoxicants shall, for the purposes of the aforesaid Act, be the limit of sale by retail in all areas of Uttar Pradesh except the areas notified as prohibited areas under section 37-A of the aforesaid Act :-

Sl. No.	Kind of Intoxicants	Limit of Sale by Retail
1	Country Liquor (i) Spiced (ii) Plain	1.0 Litre separately of all strength 1.0 Litre separately of all strength

Or

2.	Foreign Liquor	
(a)	Bottled in India (BII)/IMFL Indian Made Foreign Liquor	1.5 Litres [Whisky, Brandy, Rum (including white Rum), Gin Tequila and Vodka]
(b)	Bottled in Origin (BIO)/ Imported Foreign Liquor (Overseas)	1.5 Litres [Whisky, Brandy, Rum (including white Rum), Gin Tequila Liquors and Vodka]
(c)	Wine	
	(i) Bottled in India (BII)	2.0 Litres
	(ii) Bottled in Origin (BIO)	2.0 Litres
(d)	Beer	
	(i) Bottled in India (BII)	6.0 Litres
	(ii) Bottled in Origin (BIO)	6.0 Litres
(e)	Other Kind of Indian/Imported Liquor	1.5 Litres
(f)	Low Alcoholic Beverages	6.0 Litres

By order,
SANJAY R. BHOOSREDDY,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी-ए०पी० 770 राजपत्र-2021-(1636)-599+25=624 प्रतियां (क०/टी०/आ०)।